

ज्ञात रहे कि कुछ भाद पूर्णवर्ष के
बाजित जिला प्रमुख कामना काष्ठ्या
मोहोत को स्वस्थ कर दिया था।
इन्हें बाद अन्तर दिवस संगठनो। आ
जाना, व्यापारी राजन सङ्घोत नेता तथा
युवाओं ने राजन सङ्घोत में भय
मोहोत के निर्माण में योगदान दिया।
कामना कामनाकाष्ठ को विश्व में
तथा कामना कामनाकाष्ठ, राजनजीनो
मोहोत को अन्तराष्ट्रीय प्रतिभाओं

दिखाया करना होता है तो कभी स्त्री को दुर्गा, तो कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती बना कर यावाही चूट लेती है। सवाल यह है कि जा स्त्री लाजिब होती है, अन्याय का शिकार होता है तब पुरुष समाज काक खड़ा होता है।

रील और सोशल मीडिया में उज्जनी इतनी पीढ़ी को रोगों में उज्जना के बजाय इतिहास से अवगत करायी जाय। प्राथमिक शिक्षा में हमारे समाज की महान स्त्री विभूतियों को पढ़ाया जाय। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य पर ही केंद्रित कार्यक्रम का निर्माण हो। बच्चों को आपस में समानता का भाव उत्पन्न किया जाय ताकि आगे कभी समाज स्त्री संसार को रोगों में ना बाट सके और स्त्री विमर्श के स्थान पर पुरुष विमर्श हो। यह बात जानने को चाहिए कि अब्बा आसमान नही, पुरे सतरंगी दनिया उनका है।

अनुसार वे मानस्यैव्य वरणां परमार्ग के अनुसार बाना अजित दास को कूची, चादर व लिखित लानाक गद्दी पर आसित कर धिक्कत लानाक नियुक्त कर यह महज्जर नामा लिख दिया। जिस्में समेत दो सप्त पहुँच्यो ने महत अजित दास को रम जहाजी हजूमन महत अमीलीपूर बाना कान महत एवं सर्वकलक घोषित किया। स्मृतिपुक्त महत अजित दास ने कहा कि वह असम समस्त दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करेगा। साथ ही निरीर की सम्पूर्ण सम्प्रतियों को अक्षुण्ण बनाए रखेगा का आजीवन सतत प्रयत्न करते रहेंगे। अंत में आया वह सत्तों का अंग्रज मंत्र भेज कर

संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को मजनाई लेकर पहुंची एसटीएफ हरियाणा, घर में की गहन छानबीन



संवाददाता-अयोध्या।

हरियाणा में हैड ग्रेनेड के साथ पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर हरियाणा एसटीएफ रविवार को उसके मजनाई स्थित घर पहुंची। इस दौरान उसे अकेले कमरे में ले जाया गया और छानबीन के बाद इनापतनगर थाने में उससे कई घंटे पूछताछ हुई। हालांकि इसी मामले में जिले की पुलिस किसी भी जानकारी से इकार कर रही है। इनापतनगर थाना क्षेत्र के मजनाई निवासी अबू बकर के पुत्र को हरियाणा एसटीएफ ने पलवल से गिरफ्तार किया था। उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड बरामद

हुए थे, जिससे श्रीराम मंदिर पर हमले का दावा किया गया था। एसटीएफ ने पूर्व में संदिग्ध आतंकी के पिता अबू बकर व परिवारजनों से भी पूछताछ की थी। इस बीच रविवार की शाम करीब 04-30 बजे एसटीएफ की टीम सीओ मिल्लीपुर श्रीराम त्रिपाठी के साथ अचानक मजनाई पहुंची और सीधे अब्दुल के घर में गई। परिवार के अन्य लोगों को वहीं रोक दिया गया। अब्दुल के कमरे में जाकर छानबीन और जांच-पड़ताल के बाद एसटीएफ की टीम उस लेकर बाहर निकली और उसके पिता अबू बकर को भी वाहन में बैठा

लिया। इसके बाद वह इनापतनगर थाने पहुंचे और दोनों से पूछताछ की। माना जा रहा कि टीमों ने अब्दुल के लोकल नेटवर्क को लेकर पड़ताल की। आतंकियों उससे कनेक्शन, उनसे बातचीत के आह्वार, फिंगर, आतंक की ट्रेनिंग समेत अन्य के बारे में सुराग खंगाले गए। उसके पिता व परिवार के फोन से मिली जानकारी को भी साक्षात् किया। अब्दुल की मां यासमीन ने बताया कि पुलिस के लोग आए थे। अब्दुल को लेकर घर में घुसे थे और कुछ खोज रहे थे। उसके पिता को भी साथ ले गए थे। घर से कॉलें सामान नहीं ले गए हैं। अचानक एसटीएफ व पुलिस कोफर्स पहुंचने से मोहले के लोग सहमे रहे। फोर्स के वापस जाने के बाद भी सननाट पहरा रह। एसएसपी राजकन नय्यर ने बताया कि एसटीएफ हरियाणा की टीम आई है। स्थानीय पुलिस उनके संयोगों में लगाई गई है। इस मामले का स्थानीय स्तर से कोई जुड़ाव नहीं मिला है, इसलिए अधिक जानकारी नहीं है।

राम मंदिर में अब प्रभु के दर्शन के साथ लीलाएं भी देख सकेंगे रामभक्त



संवाददाता-अयोध्या।

राम मंदिर परिसर में अब सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं हो रहे बल्कि श्रद्धालु भगवान श्रीराम से संबंधित भी भी प्रसन्न हैं वह भी देख सकेंगे। भगवान राम के जन्म से लेकर लंका विजय तक सभी लीलाएं अत्यधुनिक तकनीक के माध्यम से देख सकेंगे। राम मंदिर परिसर में एक वर्ष के अंदर रामकथा संग्रहालय यानी म्यूजियम भी बनकर तैयार हो जाएगा।

कंपनी को पहले क्रिकेट दी जाणी। क्रिकेट के अनुसार ही कंपनी तय करेगी कि कौन सी जगह पर वीडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। किन जगहों पर इमरसिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और कहाँ पर ऑडिओ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। इससे साथ ही कहाँ से किस जगह पर लाइटिंग होगी, यह सभी काम अगले दो महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद ही लीलाओं की तय हो जाएगी, जब तक तब गैलरी बनाने के लिए टेण्डर किया जाएगा।

रिश्त लेने का वीडियो वायरल होने पर दो महिला लेखपाल सस्पेंड

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। रिश्ते लेने का वीडियो वायरल होने पर रविवार को एसटीएफ बांसी ने दो महिला लेखपालों को सस्पेंड कर दिया। जिनकी जांच सीपी है। दोनों लेखपाल बांसी तहसील की हैं। इन पर काम के बदले एक व्यक्ति से रिश्ते लेने का आरोप है। एसटीएफ बांसी शाखाक शंकर राय ने बताया कि रविवार की शाम महिला लेखपाल का रिश्ते लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में बांसी क्षेत्र संध्या 57 तेमगढ़ की लेखपाल निधि चौधरी व क्षेत्र संध्या 131 उदयपुर की लेखपाल उषा चौधरी दिख रही हैं। इनके सामने एक व्यक्ति कुछ रुपये गिनकर एक पत्रावली में रखा जा रहा है। साथ ही रुपये समेत उस पत्रावली को उस व्यक्ति से उषा चौधरी अपने हाथों में प्राप्त कर रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उषा चौधरी उस पत्रावली को उल्टोने के रूप में ही लई हैं। उनका यह कृत्य उग्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के प्रविधानों के संस्था विरुद्ध है एवं अत्यंत अपरिणामक है। वही वीडियो में यह दिख रहा है कि किसी व्यक्ति से लेखपाल उषा चौधरी कुछ पत्रावली प्राप्त कर रही हैं और लेखपाल निधि चौधरी मौके पर उषा चौधरी के साथ उपरिष्ठत होकर पूरे प्रकरण को पास से देख भी रही हैं।

इस पर राम मंदिर विभाग निर्माण समिति और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ने काम शुरू कर दिया है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सोमवार को बताया कि म्यूजियम में कितनी गैलरी होगी, उसमें क्या रखा जाएगा, बैठक में यह सब तय कर लिया गया है। अब म्यूजियम में बनने वाली गैलरी और उसकी अलग-अलग क्रिकेट इसके डायरेक्टर लिखेंगे।

उम्मीद है कि छह महीने में गैलरी का निर्माण हो जाएगा। राम गैलरी में बिजली की ब्या अवश्यकता होगी, रिपेरेलेशन कैसे होगा, वह भी पूरा कर लिया जाएगा। श्रद्धालुओं को देखने के लिए म्यूजियम एक वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा।

बकवत मे दरस्तखत और मुहर अदालत मे आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

अवतली नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आई 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0-674/2024 रामशङ्क

अवतली नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आई 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0-674/2024 रामशङ्क

अवतली नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आई 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0-354/2023 मुकेश

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 909/94 रामकृष्ण

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 909/94 रामकृष्ण

अवतली नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आई 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0-354/2023 मुकेश

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 909/94 रामकृष्ण

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 909/94 रामकृष्ण

अवतली नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आई 5 कायदा 1 व 5) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला-बस्ती मूलवाद सं0-354/2023 मुकेश

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 909/94 रामकृष्ण

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) न्यायालय-श्रीराम सविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 909/94 रामकृष्ण

लेनदेन के विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या



संवाददाता-गोरखपुर।

राजघाट इलाके के अमरुद मंडी में विराए के मकान में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि लेनदेन के विवाद में पत्नी मजदूर ने ही हत्या की है। हत्या के बाद आरोपित मजदूर बाल में ही सो गया। आरोपित पर केस दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान सिकरीगंज इलाके के कुशरा निवासी विजय अग्रवाल उर्फ डीएम के रूप में हुई है। मृतक के भाई योगेन्द्र अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि फोटो भाई डियम उर्फ विजय अग्रवाल (32) विगत 15 वर्षों से अमरुद मंडी चकरा अमल थाना राजघाट में निवृत्त निवाय पत्र प्राप्त निषाच के मकान में रहता था। रविवार की रात करीब 10 बजे पता चला कि रात 9 बजे के आस पास छत्र पर सोने गया तो विजय कि उर्फ डियम की लाश छत पर उसके सोने वाले विस्तर पर मिली लाश के बगल में कुल्हाड़ी पड़ी है। उन्होंने बताया कि विजय और रश्मि निवासी डाकवा बाजार थान सिकरीगंज गोरखपुर दिन में मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद किये थे। दिन में विजय ने रश्मि को दी या तीन थपड़ मार दिया था। उसी खुनस्पन से रात में रश्मि ने हत्या कर दी।

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

होली बाद शहर को मिलेगी 3 सांगत, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण



संवाददाता-गोरखपुर।

शहरवासियों को होली के बाद तीन बड़ी परियोजनाओं की सांगत मिलेगी। सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर, एनिलन बर्थ कंट्रोल सेंटर और गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनकर तैयार है। सीएम योगी जल्द इनका लोकार्पण कर सकते हैं। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गोरखपुर क्लब के सामने गोरखपुर नगर निगम का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित नगरीय सेवा केंद्र बन कर तैयार हो गया है। यहां 249 करोड़ से सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। यहां वरिष्ठ नागरिकों को दिनभर के लिए परीक्षण, स्वस्थता और संचालन के लिए उपलब्ध होगी, ताकि वे अकेलापन महसूस न करें और सक्रिय रह सकें। 20 दिसंबर 2023 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो गया है। पास में ही जोनल कार्यालय तीन बना है। यहां इस जगह के तहत आने वाले वार्डों के नागरिकों को जन्म-मृत्यु



अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

चरगावा में भेजे गये ट्रैक्टर ट्रैक्टर स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस स्टेशन के शुरू हो जाने के बाद शहर के सभी वार्डों का कूड़ा घरी से एकत्रित कर कूड़ा पड़ाव घर पर न ले जाकर सीधे गार्बेज स्टेशन पर ले जाया जाएगा। वर्तमान में लालडिगी पार्क क्षेत्र स्थित बस्तपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन संचालित हो रहा है। यहां शहर के करीब 30 वार्डों का कूड़ा पहुंचता है। यहां उसने तालने के बाद कंफ्रेस मशीन की मदद से 15-15 टन के कैनसूल के रूप में पैक किया जाता है। फिर ट्रामपर प्लांट में कूड़े का निस्सारण किया जाता है। गोरखपुर क्लब के सामने नगरीय सेवा केंद्र, गुरिलहा में एनिलन बर्थ कंट्रोल सेंटर और चरगावा में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनकर तैयार है।

स्पाइस जेट के विमान में खराबी से सात विमानों के 2200 यात्री फंसे

संवाददाता-गोरखपुर।

दिल्ली से गोरखपुर पहुंची स्पाइस जेट की पल्लाड़ में खराबी आ जाने से रविवार को उड़ने वाले छह विमानों के 900 से ज्यादा यात्री तीन घंटे या उससे ज्यादा समय तक पल्लाड़ में ही फंसे रहे। उधर, इन्हीं विमानों से वापस दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगलूर और कोलकाता जाने वाले करीब 1100 यात्रियों का चेकइन एरिया में घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं लीटली जाने वाले स्पाइस जेट के 200 यात्रियों को मजबूरन लौटना पड़ा। करीब चार घंटे तक विमानों का संचलन बुरी तरह से प्रभावित रहा। कई सटीक जानकारी न मिलने से यात्रियों ने जमकर हंगामा करते हुए एयरपोर्ट इलाका के खिलाफ नारेबाजी की। शाम सात बजे तक बाई एक-एक कर लैंड होई पल्लाड़ में से अकासा को छोड़कर बाकी रात आठ बजे तक गोरखपुर से उड़ानें भर सकीं।

दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट का विमान एसजी 139 करीब अपराह्न 2 बजे लैंड तो कर गया लेकिन जल्द ही जब उड़ने को तैयार हुआ तो अचानक विमान से लैंड करने आ गई। काफी प्रयास के बाद भी वह ठीक नहीं हो सका। कई अन्य विकल्प न होने की वजह से कंपनी ने स्पाइस जेट से जहाज हटाने के लिए मजबूर मानी। इसकी गंभीरी मिलने में करीब तीन घंटे लग गए, लेकिन खराबी दूर न होने से उसे निरस्त करना पड़ा। इस वजह से दिल्ली जाने वाले 200 यात्रियों को मजबूरन एयरपोर्ट से लौटना पड़ा।

इस सब इंडिगो, अकासा, एलांस एयर की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की छह स्पाइस एफ-एफ कर लैंड कर लई लेकिन स्पाइस जेट का विमान न हटने से लैंड करने वाले मिनामिने के कोलकाता और दिल्ली से आने वाले 900 से ज्यादा यात्री तीन घंटे तक पल्लाड़ में ही फंसे रहे। उनके विमान रवने और टेक्नी व एरिया में जहां-तहां खड़े रहे। इनमें से बंगलूर से आकर 6 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली अकासा की पल्लाड़ के यात्री रात 10 बजे के बाद तक विमान में ही फंसे रहे।

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली

अवतली नोटिस

सम्मन बानाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलत मुतापका (आई 22 कायदा 4) अदालत- श्रीराम अदम उमूर सविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला-बस्ती माद सं0 995/1996 अहमद अली